

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन,
झाँसी रोड, ग्वालियर-474002.**

**Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh,
Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002**

दिनांक:-25/06/2021

कार्यालय आदेश / Office Order-49

इस कार्यालय में कार्यरत सुश्री साक्षी, लेखापरीक्षक (04 / 11451) (UID No. MPGWB 3112368) का कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य), आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली में उनके द्वारा स्वीकार की गई शर्तों पर तथा भारत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी शर्तों एवं निबन्धनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 25.06.2021 (अप.) को इस कार्यालय से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य), आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति दें।

Consequent upon selection of Ms. Saakshi, Auditor (04/11451) (UID No. MPGWB 3112368) of this office on deputation basis in O/o the Principal Director of Audit (Industry and Corporate Affairs), I.P. Estate, New Delhi under general terms and conditions of deputation and the terms and conditions issued by Government of India from time to time. She is relieved from this office on 25.06.2021 (A.N.) and directed to report for joining in O/o the Principal Director of Audit (Industry and Corporate Affairs), I.P. Estate, New Delhi.

उक्त स्थानान्तरण लोकहित में नहीं है। अतः उन्हें कार्यग्रहण काल, प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं स्थानान्तरण भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

Aforesaid transfer is not in public interest. therefore deputation allowance, transfer TA, joining time will not be admissible to her.

उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरन्त दें।

She shall immediately intimate her joining to this office, through the borrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.ए.बी. 14017 / 30 / 2006 स्था. (आर.आर.) दिनांक 29.11.2006, जिसे मुख्यालय के पत्र क्र. 19 लेखापरीक्षा (नियम) 66-2002 (KW)/IV-2007(10) दिनांक 06.03.2007 द्वारा अग्रेषित किया गया है, में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति नियमित होगी:-

The deputation will be regularized in terms of the following conditions contained in Do.P.T.O.M. No.A.B.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 received with Headquarters' letter No. 19 Audit (Rules) 66-2002 (KW)/IV-2007 (10) dated 06.03.2007:-

1. यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी तथा प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी को दिनांक 24.06.2022 को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने के लिए अलग से कोई भी आदेश नहीं दिए जाएंगे।

The deputation will be for one year and the official on deputation will have to be compulsorily relieved on 24.06.2022. No separate order will be issued for her relieving.

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी तथा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर कार्यभार से मुक्त माना जाएगा, सिवाय उस स्थिति में जब सक्षम अधिकारी नें उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाए जाने के लिए अपेक्षित अनुमोदन नहीं दे दिया है। प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी का ओवर स्टे न हो यह

उसके अगले उच्च अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

Deputation period will not be extended and she will be treated as relieved unless the Competent Authority approves in writing to extend the deputation period before its completion. It will be the responsibility of next higher authority to avoid overstay of staff on deputation.

अप यदि किसी भी कारण से कर्मचारी अधिक दिनांक तक बना रहता है, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सिविल सेवा परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा कि अनाधिकृत रूप से अधिक दिनांक तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि संबंधित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

In the event of the official overstaying for any reason whatsoever, she will be liable to disciplinary action and other adverse Civil Service consequences which would include that the period of unauthorized overstay shall not count as qualifying service and that any increment due during the period of unauthorized overstay shall be deferred, with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins her parent cadre.

(प्रधिकार:- प्रधान महालेखाकार (ले.प.- I) म.प्र. ग्वालियर के आदेश दिनांक 25.06.2021)

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

ई-आफिस के माध्यम से-

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
3. उप निदेशक/प्रशासन, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य), ए.जी. सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002.
4. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्या. प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.)-1 मध्यप्रदेश, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन हेतु।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11, को इस आशय से प्रेषित कि वे सुश्री साक्षी, लेखापरीक्षक (04/11451) को दिनांक 25.06.2021 (अप.) को सीधे कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य), ए.जी.सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002 के लिए कार्यमुक्त कर इस अनुभाग को सूचित करें।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य), ए.जी.सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12, 13, 14, गोपनीय कक्ष, Training & Exam.
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.एवं हक.)-1, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई.एस.विंग को इन्ट्रानेट पर "Administration_Personnel" लिंक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
10. श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय, स.ले.प.अ./प्रशा.-14 को इन्ट्रानेट/ इंटरनेट संबंधी कार्य हेतु।
11. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
12. संबंधित कर्मचारी/ सुश्री साक्षी, लेखापरीक्षक (04/11451)
13. सूचना पटल/गार्ड फाईल।

हस्ता/—
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12